न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर
बइजलास मिथलेश कुमार, आरएएस

प्रकरण सं0 18/2020/251 (ए) आरटीए

1. रामेश्वर पुत्र छीतराम
2. रामेश्वर पुत्र बेनाराम
3. नारायणी पत्नी रामूराम
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामूराम
5. हीरालाल पुत्र रामूराम
6. चुन्नीलाल पुत्र सांवरमल
7. भंवरी देवी पत्नी सांवरमल
8. मंजू पत्नी चुन्नीलाल
9. सरोज पत्नी ताराचंद
10. सांवरमल पुत्र सुरजाराम
11. जगदीश प्रसाद पुत्र रामकुमार
12. नारायणराम पुत्र रामकुमार
13. पहपी देवी पत्नी रामकुमार
14. रिछपाल पुत्र रामकुमार
15. हरलाल पुत्र हनुमान
16. भागीरथ पुत्र मोतीराम
17. गीता पुत्री मोतीराम
18. घीसूदेवी पुत्री मोतीराम
19. भगवानी देवी पुत्र मोतीराम
20. सोनी देवी पत्नी मोतीराम

समस्त जाति जाट निवासीगण रैवासी तहसील धोद जिला सीकर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. संतोष पत्नी नेमीचंद
2. सुभाष पुत्र नेमीचंद
3. ताराचंद पुत्र सांवरमल

   समस्त जाति जाट निवासीगण रैवासी तहसील धोद जिला सीकर
4. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सेवद बड़ी, सीकर
5. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सीकर
6. शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा सिहोट बड़ी, तहसील धोद
7. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशलन बैंक, शाखा कृषि उपज मंडी, सीकर
8. तहसीलदार, धोद मु. सीकर जिला सीकर
9. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा रूल्याणी, सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:36 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–
1. श्री मानूराम बुडानिया, वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री गिरधारीलाल गुर्जर, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से

आदेश

दिनांक– 12.03.2021

01. वकील प्रार्थीगण की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम रैवासी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित प्रार्थी सं. 1 के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 158 रकबा 3.03 हेक्टेयर व खसरा सं. 53 रकबा 3.73 हेक्टेयर, जिनके मध्य में खसरा सं. 160, 509/161, 510/161, 156 व 157 भूमियां आती है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में आवागमन हेतु कटान में कोई रास्ता मौजूद नहीं है, लेकिन प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने आपसी सहमति से 5 मीटर चौड़ा रास्ता जो खसरा सं. 158 की उत्तरी पश्चिमी कोने से होता हुआ पश्चिमी दक्षिणी कोने से फिर खसरा सं. 160 के उत्तर पूर्वी कोने में घुस कर उक्त खसरा नम्बर के मध्य से होता हुआ खसरा सं. 156 में प्रवेश कर खसरा सं 155 के सट कर खसरा सं. 156 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे खसरा सं. 157 के दक्षिण पश्चिमी कोने से होता हुआ खसरा सं. 53 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे जाकर खसरा सं. 53 की उत्तरी सींव के मचस तक जाता है एवं खसरा सं. 509/161 के पश्चिमी दक्षिणी कोने से होकर खसरा सं. 510/161 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे फिर दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे चल कर कटानी रास्ते में मिलता है। जो संलग्न नक्शे में A.B.C.D.E.F.G.H.I से बरंग लाल सुर्ख से दर्शित है। यह कि प्रार्थीगण की आपसी सहमति से प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु रास्ते के प्रयोजन में आने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	खसरा सं.	रकबा	खातेदार का नाम	रास्ते का क्षेत्रफल
1	158	3.03 हेक्टेयर	रामेश्वर पुत्र खींवाराम जाति जाट सा. देह	0.1564 हेक्टेयर
2	160	3.15 हेक्टेयर	भागीरथ पुत्र मोतीराम, गीता, घीसू, भगवानी पुत्रिया मोतीराम, सोनी पत्नी मोतीराम संतोष पत्नी नेमीचंद सुभाष पुत्र नेमीचंद, सोनी देवी पत्नी मोतीराम जाति जाट सा. देह	0.1406 हेक्टेयर
3	509/161	2.04 हेक्टेयर	नारायणी पत्नी रामूराम सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामूराम हीरालाल पुत्र रामूराम जाति जाट सा. देह	0.0395 हेक्टेयर
4	510/161	3.52 हेक्टेयर	चुन्नीलाल पुत्र सांवरमल, ताराचंद पुत्र सांवरमल, भंवरी पत्नी सांवरमल मंजू पत्नी चुन्नीलाल, सरोज पत्नी ताराचंद, सांवरमल पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा.देह	0.1636 हेक्टेयर
5	157	2.81 हेक्टेयर	हरलाल पुत्र हनुमान जाति जाट सा. देह	0.0259 हेक्टेयर
6	53	3.73 हेक्टेयर	रामेश्वर पुत्र बेगाराम जाति जाट सा. देह	0.1141 हेक्टेयर
7	156	3.02 हेक्टेयर	जगदीश प्रसाद, नारायणराम, रिछपाल पुत्र रामकुमार पहपी देवी पत्नी रामकुमार	0.1632 हेक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:36 IST
Reason: SelfAttested

यह कि भूमि खसरा नं. 53, 157, 158, 510/161, 509/161, 160, 158 के उक्त रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए प्रार्थीगण उक्त रास्ते को कटान में करवाने जाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने तो रास्ते में आने वाली भूमियों को आनुपातिक रूप से मुआवजा देने की समायोजन कर लिया है, जिससे रास्ते में कोई मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं। यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 जो कई दिनों से तथा कहने पर प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ते को कटान में करवाने जाने का आश्वासन दे रहे है तथा कहने पर दिनांक 18.06.2020 को रास्ते को कटान करवाने के लिए मना करने पर यह आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। खातेदार काश्तकार अप्रार्थी सं. 4 ता 7 के यहां पक्षकारी है अपनी भूमियों को रहन कर रखा है तथा अप्रार्थी सं. 8 जो भूमिधारक राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से आवश्यक अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाये गये है। आवेदन न्यायालय द्वारा के क्षेत्राधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से आवेदन उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रैवासी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित काश्तकारान भूमि खसरा सं. 158, 53, 160, 509/161, 510/161, 158 व 157 में आवागमन हेतु 5 मीटर चौडा रास्ता जो आवेदन की मद सं. 2 व 3 व संलग्न नक्शे में A.B.C.D.E.F.G.H.I से बरंग लाल सुर्ख से दर्शित है, को रास्ते के रूप में कटान किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

02. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार को प्रकरण में रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री गिरधारीलाल गुर्जर उपस्थित होकर जवाब पेश कर प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अप्रार्थी सं. 5 की ओर अभिभाषक श्री भागीरथ चौधरी उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण सं. 3, 4, 6, 7 व 9 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 8 तहसीलदार, धोद के पत्रांक/राजस्व/2020/648 दिनांक 21.08.2020 के द्वारा के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

03. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने यह कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भूमि के बदले रास्ता दिये जाने में उभयपक्ष सहमत है। उसी अनुरूप रास्ते का आदेश दिया जावे। अप्रार्थी सं. 5 जरिये बैंक की ओर से अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में जवाबदाता बैंक के भूमि रहन होने के इन्द्राजात को यथावत रखा जाता है, तो जवाबदाता बैंक को कोई आपत्ति नहीं है।

04. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रैवासी तहसील धोद के खसरा सं. 158 रकबा 3.03 हेक्टेयर व खसरा सं. 53 रकबा 3.73 हेक्टेयर में आवागमन के संबंध में तहसीलदार धोद द्वारा प्रस्तावित रास्ता (नजरी नक्शा में हरे रंग से प्रदर्शित) के लिए समस्त खातेदार सहमत है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।

अतः तहसीलदार, धोद की नक्शा सहित प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रैवासी तहसील धोद के

उपखण्ड अधिकारी
धोद जि. सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:36 IST
Reason: SelfAttested

खसरा सं. 158 रकबा 3.03 हेक्टेयर व खसरा सं. 53 रकबा 3.73 हेक्टेयर में आवागमन के संबंध में तहसीलदार धोद द्वारा प्रस्तावित रास्ता (नजरी नक्शा में हरे रंग से प्रदर्शित) के अनुसार प्रस्तावित सारणी के अनुसार नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाकर नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जावे तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है—

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	वि.वि.
1	पुन्नीलाल पुत्र सांवरमल हि. 1/6, ताराचंद पुत्र सांवरमल हि. 1/6, भंवरी पत्नी सांवरमल हि. 1/6, मंजू पत्नी पुन्नीलाल हि. 1/6, सरोज पत्नी ताराचंद हि. 1/6, सांवरमल पुत्र सुरजाराम हि. 1/6 जाति जाट सा.देह राहिन बीआरकेजीबी शाखा सिहोट बड़ी	510/161	3.52 हेक्टेयर	बारानी प्रथम	0.1895 हेक्टेयर	
2	सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामूराम हि. 1/3, हीरालाल पुत्र रामूराम हि. 1/3 राहिन एसबीबीजे शाखा सेवद बड़ी नारायणी पत्नी रामूराम हि. 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार	509/161	2.04 हेक्टेयर	बारानी प्रथम	0.0495 हेक्टेयर	
3	संतोष देवी पत्नी नेमीचंद हि. 1/12 राहिन बीबारकेजीबी शाखा सेवद बड़ी, सुभाष पुत्र नेमीचंद हि. 1/12, गीता पुत्र मोतीराम हि. 1/6, घीसू पुत्री मोतीराम हि. 1/6, भगवानी देवी पुत्री मोतीराम हि. 1/6, भागीरथ पुत्र मोतीराम हि. 1/6, सोनी पत्नी मोतीराम हि. 1/6 जाति जाट सा. देह	160	3.15 हेक्टेयर	बारानी प्रथम	0.0560 हेक्टेयर	उत्तरी पूर्वी कोने में दर्शाये गये रास्ते की भूमि
					0.0480 हेक्टेयर	बीच में दर्शाये गये रास्ते की भूमि
					0.1040 हेक्टेयर	
4	रामेश्वर पुत्र खींवाराम जाति जाट सा. देह राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सीकर	158	3.03 हेक्टेयर	बारानी प्रथम	0.1564 हेक्टेयर	
5	जगदीश प्रसाद पुत्र रामकुमार हि. 5/18, नारायणराम पुत्र रामकुमार हि. 5/18, रिछपाल पुत्र रामकुमार हि. 1/18 राहिन बीआरकेजीबी शाखा सिहोट	156	3.02 हेक्टेयर	बारानी प्रथम	0.1632 हेक्टेयर	

44

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:36 IST
Reason: SelfAttested

	बड़ी पहपी देवी पत्नी रामकुमार हि. 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार					
6	हरलाल पुत्र हनुमान जाति जाट सा. देह खातेदार पीएनबी, शाखा कृ.उ.मंडी, सीकर	157	2.81 हेक्टेयर	बारानी प्रथम	0.0259 हेक्टेयर	
7	रामेश्वर पुत्र बेगाराम जाति जाट सा. देह एसबीआई, शाखा रूल्याणी, सीकर	53	3.73 हेक्टेयर		0.1141 हेक्टेयर	

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावें। तहसीलदार, घोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तद्नुसार पालनार्थ तहसीलदार, घोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, घोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी
घोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:36 IST
Reason: SelfAttested